संख्या-341/2023/I/412237/2023/23-11099(099)/227/2023

प्रेषक,

राज कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ: दिनांक 20/10/2023**

विषय:- जनपद वाराणसी में किला कटरिया मार्ग के चैनेज 1.300 से 3.800 (लम्बाई 2.500 किमी0) के सुदृढीकरण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-1098नि/148-01नि0/वाराणसी/भाग 2/23, दिनांक 07-08-2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के उच्चीकरण के नये कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजनान्तर्गत जनपद वाराणसी में किला कटरिया मार्ग के चैनेज 1.300 से 3.800 (लम्बाई 2.500 किमी0) के सुदृढीकरण कार्य की विभागीय व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 578.96 लाख (रूपये पांच करोड़ अट्ठहत्तर लाख छियानवे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए लागत के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 289.48 लाख (रूपये दो करोड़ नवासी लाख अड़तालीस हजार मात्र) व्यय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तो/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 सं0	जनपद/ खण्ड का नाम	कार्य का विवरण	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि		
				अनु0-58	अनु0-83	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	वाराणसी/ प्रा0ख0	जनपद वाराणसी में किला कटरिया मार्ग के चैनेज 1.300 से 3.800 में सुदृढीकरण का कार्य।	578.96	228.08	61.40	289.48

नियम शर्ते/प्रतिबन्धों

1- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

2- कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

3- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

5- यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

6- अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25-01-2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11 नवम्बर 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25-01-2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक 1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट कर जमा की जायेगी।

7- लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

8- मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।

9- विभागीय व्यय/सेन्टेज चार्ज वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तो का पूर्णतय: अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

10- प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। प्रायोनातन्तर्गत जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी। उक्त आगणन इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। विभाग द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

11- यह सुनिश्चत किया जाय कि परियोजना में प्रस्तावित कार्य विभागीय नियमों/मानक के अन्तर्गत है।

12- प्रस्तावित कार्य हेतु जो भूमि प्रयुक्त की जायेगी उसका पूर्णत: सरकारी/लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में होना सुनिश्चित किया जायेगा।

13- प्रस्तावित निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार से किसानों की निजी भूमि का उपयोग नही किया जायेगा।

14- प्रस्तावित कार्य हेतु भूमि अध्याप्ति अधिग्रहण की आवश्यकता की दशा में भूमि अधिग्रहण की अनुमन्यता व स्वीकृति, सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा संगत व प्रभावी नियमों के अन्तर्गत सुनिश्चित की जायेगी।

15- परियोजना को शासनादेश निर्गत होने की तिथि से कुल 12 माह में पूर्ण करना व तथा भविष्य में परियोजना का पुनरीक्षण न किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

16- परियोजना के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा अवगत कराये गये सभी बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

17- यूटिलिटी शिफ्टिंग होने की स्थिति में कार्य इस प्रकार सुनिश्चित किया जायेगा कि भविष्य में मार्ग के चौड़ीकरण व अन्य सम्बन्धित कार्यो में व्यवधान उत्पन्न न हो तथा यूटिलिटी शिफ्टिंग की पुन: आवश्यकता न हो। यूटिलिटी शिफ्टिंग के कार्यो के क्रियान्वयन से पूर्व विभाग द्वारा अपने स्तर से यूटिलिटी शिफ्टिंग में प्रस्तावित कार्यो का Verification & Revalidation कराते हुए कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। यूटिलिटी शिफ्टिंग सम्बन्धी कार्यो हेतु भविष्य में कोई भी धनराशि देय नहीं होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

18- यदि प्रयोजना प्रस्ताव में विद्युत विभाग से संबंधित यूटिलिटी शिफ्टिंग सम्मिलित है, तो निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व यूटिलिटी शिफ्टिंग का विद्युत विभाग से सक्षम स्तर से अनुमोदित विस्तृत आगणन प्राप्त कर लिया जाये।

19- विद्युत विभाग की यूटिलिटी शिफ्टिंग हेतु एन0एच0ए0आई0 के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

20- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने का दायित्व विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।

21- प्रयोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य की मात्राओं को यथावत मानते हुये लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओ के निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।

22- प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुये लागत का आंकलन किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढाना, सडक की लम्बाई एवं चौडाई में परिवर्तन, क्रस्ट डिजाइन में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, विभागीय व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

23- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य की द्विरावृत्ति (डुप्लकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

24- परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने अथवा परियोजना की लागत में वृद्धि की दशा में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा तथा भविष्य में यदि परियोजना की लागत में वृद्धि होती है तो ऐसी दशा में लागत में बढोत्तरी की कुल धनराशि की वसूली सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता आदि के वेतन से की जायेगी।

25- परियोजना से सम्बन्धित समस्त तकनीकी पक्षों/तथ्यों व उनके परीक्षण/सत्यापन तथा इस परियोजना के निर्धारित मानकों के अनुरूप होने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग का होगा।

26- परियोजना की लागत व समय सीमा में बढोत्तरी न हो, इस हेतु परियोजना के निर्माण कार्य की साप्ताहिक समीक्षा सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा एवं माह में कम से कम एक बार समीक्षा विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी।

27- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17-03-2023 एवं 10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक 19.09.2023 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

28- लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

29- सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबंधन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17-05-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19-05-2023 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तो का अक्षरश: अनुपालपन सुनिश्चित किया जायेगा।

30- उपरिलिखित सभी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय (1) रूपये 2,28,08,000(रूपये दो करोड़ अट्ठाईस लाख आठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054033371328 प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के उच्चीकरण के नये कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य (2) रूपये 61,40,000(रूपये इकसठ लाख चालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054037890500 राज्य प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के नये कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-8-691-X-2023-24-दिनांक: 11.10.2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राज कुमार)
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
10- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
12- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
13- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
14- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
15- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in